

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

तारंककत प्रश्न संख्या : 277

05 , 2018 प्रश्न त्त

व्यापक स्वास्थ्य सेवा

\* 277. श्रृं

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण त्रृं यह बताने को कृपा करगे कऱः

- (क) क्या देश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों म बड़ी संख्या म लोग वऱ्तीय परेशानी के कारण खर्चाले इलाज वाली गंभीर बीमारऱऱों का इलाज नहीं करा पाते हः
- (ख) रऱदऱ हऱं, तो तत्संबंधी बऱौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार का इस गंभीर स्थऱतऱ को देखते हुए एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा कवरेज क्रऱयान्वऱत करने का प्रस्ताव है; और
- (घ) रऱदऱ हऱं, तो तत्संबंधी बऱौरा क्या है?

त  
स्वास्थ्य और परिवार कल्या मंत्रऱी (श्रृं प्र ङु )

(क) से (घ): वऱवरण सदन के पटल पर रख दऱया गया है।

(क) और (ख): वल्लतततत समस्याओं के कारण गंभीर रोगों का उपचार प्राप्त करने म सक्षम न रहने वाले व्यक्ततततों को संख्या का ब्यौरा कद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ): “जन स्वास्थ्य और अस्पताल” के राज्य का वलषय होने के कारण व्यापक और कलफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने को प्राथमक कलम्मेदारी संबंघत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मलशन के तहत सभी को सुलभ, कलफायती और गुणवत्तापूण स्वास्थ्य परलचया प्रदान करने के ललए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वास्थ्य प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु उन्ह तकनीको और वल्लततत सहायता प्रदान को जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत गरीबी को रेखा से नीचे स्थत (बीपीएल) सभी लोगों तथा असंगठत कामगारों को 11 अन्य वलनरलदलष्ट श्रेणतततों को भर्तो होने के दौरान परलचया हेतु प्रति परलवार प्रति वष 30,000 रुपए तक को सहायता भी प्रदान को जाती है। भारत सरकार 60 वष और उससे अधक आयु के वरलष्ट नागरकों हेतु 01.04.2016 से, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को टॉप-अप बीमा स्कोम के रूप म वरलष्ट नागरक स्वास्थ्य बीमा योजना (एससीएचआईएस) को भी लागू कर रही है।